प्रथम सूचना रिपोर्ट
(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला बीकानेर – **थाना प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र.नि.ब्यूरो जयपुर**............वर्ष ....2022................
2. प्र.इ.रि.सं.........................134.../2022.............. दिनांक ......19/4/2022.................
   (I) * अधिनियम – **भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018**..... धारा – **7ए**......
   (II) * अधिनियम भा.द.सं. धारा – ....420, 186 ....
   (III) * अधिनियम...............................–................................ धाराएं....................–........................
   (IV) * अन्य अधिनियम एवं धाराएं ....–..
3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या ....348.................समय..........5:50 pm..............
   (ब) अपराध घटने का दिन व समय– सोमवार **दिनांक 18.04.2022 वक्त 11:29 ए.एम**
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक – ....14.04.2022 वक्त 04:15 पी.एम..... ....
4. सूचना की किस्म :– लिखित / मौखिक – **लिखित**
5. घटनास्थल :–
   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी – **बजानिब उत्तर पश्चिम 130 किलोमीटर**
   (ब) पता – ग्राम पंचायत भवन कुण्डल पंचायत समिति खाजूवाला जिला बीकानेर
   बीटसंख्या.......–.............जुरायमदेही सं...........................
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो पुलिस थाना ......–...............................
6. परिवादी /सूचनाकर्ता :–
   (अ) नाम – **श्री बिटू सिंह**
   (ब) पिता/पति का नाम – श्री दर्शन उर्फ दरसन सिंह
   (स) जन्म तिथि/आयु – 28 वर्ष
   (द) राष्ट्रीयता – **भारतीय**
   (य) पासपोर्ट संख्या.................. जारी होने की तिथि...... जारी होने की जगह ....
   (र) पेशा – मजदूरी
   (ल) पता – **वार्ड नम्बर 09, चक 09 केएलडी, कुण्डल करमवाला तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।**
7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित :–
   1. ओमप्रकाश पुत्र श्री सहीराम उम्र–39 जाति जाट सरपंच प्रतिनिधि निवासी 10 केएलडी (कुण्डल) तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :– **कोई विलम्ब नहीं।**
9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये)......
10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य ....–..
11. पंचनामा यू॰ डी॰ केस संख्या (अगर हो तो) ....–...
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये) :–

महोदय,

निवेदन है कि दिनांक 14.04.2022 को परिवादी श्री बिटूसिंह पुत्र श्री दर्शन उर्फ दरसन सिंह जाति मजहबी सिख, उम्र 28 साल निवासी वार्ड नं 9, चक 9 केएलडी, कुंडल करमवाला, तहसील खाजूवाला, जिला बीकानेर ने ब्यूरो कार्यालय बीकानेर पर उपस्थित होकर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष कम्प्यूटर टाईपशुदा रिपोर्ट प्रस्तुत की कि "सेवा में श्रीमान एडीशनल एसपी साहब भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर, विषय : ग्राम पंचायत कुंडल तहसील खाजूवाला के सरपंच प्रतिनिधि ओमजी तरड़ द्वारा मुझसे प्रधानमंत्री आवास योजना की तीसरी किश्त जारी करने के लिए 20000 रुपये आदि रिश्वत के मांगने पर रंगे हाथों पकड़वाने बाबत। महोदय, निवेदन है कि मैं बिटू सिंह पुत्र दर्शन उर्फ दरसन सिंह जाति मजहबी सिख, उम्र 28 साल निवासी वार्ड नं 9, चक 9 केएलडी, कुंडल करमवाला, तहसील खाजूवाला, जिला बीकानेर है। मैं 4 कक्षा तक पढा हूं तथा खेती बाड़ी, मजदूरी और ड्राईवरी करता हूं। मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्राम पंचायत कुंडल में पिछले सरपंच के

कार्यकाल में आवेदन किया था जिसमें मेरा प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान निर्माण करवाने हेतु चयन हुआ था। यह रुपये तीन किश्तों में मेरे बैंक खाते में आने थे। इस दौरान हमारे ग्राम पंचायत से श्रीमती रितु तरड़ जीतकर नई सरपंच बन गई। लेकिन सरपंच रितु तरड़ का प्रतिनिधि बनकर हमारे ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच श्री ओमजी तरड़ ही सारे काम करते हैं जो कि सरपंच श्रीमती रितु तरड़ के जेठ हैं। मेरी मकान निर्माण हेतु पहली किश्त 15000 रुपये की श्री ओमजी तरड़ के कार्यकाल में मेरे बैंक खाते में आई थी जिसमें मैंने हमारे गांव 9केएलडी में मेरे मकान का काम शुरु करवाया था। उसके बाद मुझे आगे और रुपयों की जरुरत पड़ने पर मैंने सरपंच प्रतिनिधि ओमजी तरड़ से संपर्क किया तो उन्होंने मुझसे दूसरी किश्त 45000 रुपये की जारी करने हेतु जियोटैगिंग के कार्य के लिए 5000 रुपये रिश्वत के मांगे थे जो कि मैंने उन्हें मेरी रुपये ना होने की मजबूरी बताकर दूसरी किश्त जारी करवा ली थी। उसके बाद अब दूसरी किश्त के रुपये भी मैं मकान में लगा चुका हूं। अब मैंने जब तीसरी किश्त 63000 रुपये के लिए सरपंच प्रतिनिधि श्री ओमजी तरड़ से 4–5 दिन पहले संपर्क किया तो उन्होंने मुझसे तीसरी किश्त जारी करने के लिए रिश्वत के तौर पर 20000 रुपये की मांग की है। इन रुपयों के अलावा वे मुझसे मेरे मकान में प्रधानमंत्री आवास योजना में मस्ट्रोल लगने पर मेरे खाते में मजदूरी पेटे आ चुके रुपयों में से भी अपने कुछ रुपये हिस्से में मांग कर रहे हैं। मैं गरीब आदमी हूं मैंने उन्हें बताया कि मेरे पास मकान पूरा बनवाने के ही रुपये नहीं हैं मैं इतनी रुपये कहां से लाकर दूंगा। परंतु सरपंच प्रतिनिधि श्री ओमजी तरड़ ने कहा कि अब 20000 रुपये देने पर ही मैं तुम्हारी 65000 रुपये की तीसरी किश्त जारी करने के लिए जियाटैगिंग की कार्यवाही करवाउंगा। जियोटैगिंग का काम ग्रामसेवक की आईडी से होता है जो कि सरपंच प्रतिनिधि श्री ओमजी तरड़ ने ले रखी है और ओमजी तरड़ रिश्वत मिल जाने के बाद ही अपने तरीके से आईडी किसी और को देकर तुरंत जियोटैगिंग करवा देते हैं। हमारे गांव के सभी लोग इनसे परेशान हैं। गांव का जो व्यक्ति श्री ओमजी तरड़ को रुपये नहीं देता है उसकी जियोटैगिंग का काम रोक लिया जाता है। मैं काफी गरीब आदमी हूं। मेरा मकान का काम अधूरा पड़ा है और मेरे पास रुपये भी नहीं हैं। मैं कुंडल गांव के सरपंच प्रतिनिधि श्री ओमजी तरड़ को रिश्वत ना देकर रंगे हाथों एसीबी में पकड़वाना चाहता हूं। अतः रिपोर्ट कार्यवाही हेतु पेश है। भवदीय बिटू सिंह पुत्र दर्शन उर्फ दरसन सिंह जाति मजहबी सिख, निवासी वार्ड नं 9, चक 9 केएलडी, कुंडल करमवाला, तहसील खाजूवाला, जिला बीकानेर 9521506533 दिनांक 14.04.2022।

श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने मुझ पुलिस निरीक्षक आनन्द मिश्रा को अपने कार्यालय कक्ष में बुलाकर श्री बिटू सिंह पुत्र दर्शन उर्फ दरसन सिंह जाति मजहबी सिख, उम्र 28 साल निवासी वार्ड नं 9, चक 9 केएलडी, कुंडल करमवाला, तहसील खाजूवाला, जिला बीकानेर से आपसी परिचय करवाया। परिवादी श्री बिटू सिंह द्वारा ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होकर श्रीमान एडीशनल एसपी साहब के नाम संबोधित कंप्यूटर टाईपशुदा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज विरुद्ध सरपंच प्रतिनिधि श्री ओमजी तरड़ द्वारा 20000 रुपये रिश्वत की मांगने आदि दिया है जिस पर श्रीमान् अति पुलिस अधीक्षक द्वारा मुझ पुलिस निरीक्षक को अग्रिम कार्यवाही करने के निर्देश पर मन् पुलिस निरीक्षक आनन्द मिश्रा ने परिवादी श्री बिटू सिंह द्वारा प्रस्तुत कंप्यूटर टाईपशुदा रिपोर्ट का अवलोकन किया एवं परिवादी श्री बिटू सिंह को हमराह लेकर अपने कक्ष में उपस्थित हुआ। परिवादी श्री बिटू सिंह से दरियाफ्त करने पर बताया कि यह प्रार्थना पत्र मैंने स्वयं मेरी जान पहचान के व्यक्ति से कंप्यूटर से टाईप करवाया है। जिस पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पुनः शब्द ब शब्द परिवादी को पढकर सुनाया गया तो इसमें लिखे तथ्य सही सही होना स्वीकार किया तथा प्रार्थना पत्र पर परिवादी ने बतौर बिटू सिंह अपने ही हस्ताक्षर होना बताया। परिवादी बिटू सिंह ने बताया कि वर्तमान में हमारी ग्राम पंचायत कुंडल, तहसील खाजूवाला की सरपंच श्रीमती रितु तरड़ हैं जिनका प्रतिनिधि बनकर पूर्व सरपंच श्री ओमजी तरड़, उम्र लगभग 35 साल ही ग्राम पंचायत के सारे काम करते हैं जो कि सरपंच श्रीमती रितु तरड़ के ही जेठ हैं। निर्वाचित सरपंच श्रीमती रितु तरड़ ग्राम पंचायत भवन में नहीं बैठती है तथा अपने मूल गांव जसरासर, जिला बीकानेर ही रहती है। सरपंच के तौर पर व सरपंच की कुर्सी पर बैठकर लोगों से वार्ता करना, लोगों के काम करना, अलग अलग अफसरों से बात करना यह सारा काम सरपंच

प्रतिनिधि श्री ओमजी तरड़ ही करते हैं। मैंने सरपंच प्रतिनिधि श्री ओमजी तरड़ से आज से 4–5 दिन पहले मेरे मकान के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना की तीसरी किश्त 63000 रुपये जारी करवाने के लिए संपर्क किया तो उन्होंने मुझसे तीसरी किश्त जारी करने के लिए रिश्वत के तौर पर 20000 रुपये की मांग की है। मैंने उन्हें बताया कि मैं गरीब आदमी हूं, मेरे पास मकान पूरा बनवाने के ही रुपये नहीं हैं मैं इतने रुपये कहां से लाकर दूंगा। लेकिन सरपंच प्रतिनिधि श्री ओमजी तरड़ ने कहा कि अब 20000 रुपये देने पर ही मैं तुम्हारी 63000 रुपये की तीसरी किश्त जारी करने के लिए जियाटैगिंग की कार्यवाही करवाउंगा। जियोटैगिंग का काम ग्रामसेवक की आईडी से होता है जो कि सरपंच प्रतिनिधि श्री ओमजी तरड़ ने ले रखी है और ओमजी तरड़ रिश्वत मिल जाने के बाद ही अपने तरीके से आईडी किसी और को देकर तुरंत जियोटैगिंग करवा देते हैं। अब मेरे पास श्री ओमजी तरड़ को देने के लिए रुपये नहीं हैं और न ही मैं मेरे जायज काम के लिए ओमजी तरड़ को रिश्वत देना चाहता हूं। मैं श्री ओमजी तरड़ को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूं। मेरा ओमजी तरड़ से कोई भी उधारी का लेन देन नहीं है तथा कोई रंजिश भी नहीं है। रिपोर्ट परिवादी एवं मज़ीद दरियाफत से मामला पीसी एक्ट की परिधि में आना पाये जाने से परिवादी श्री बिटू सिंह को रिश्वत की मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने के संबंध में प्रक्रिया से अवगत करवाया गया। परिवादी श्री बिटू सिंह ने बताया कि सरपंच प्रतिनिधि श्री ओमजी तरड़ रोज सुबह 10 बजे के आस पास ग्राम पंचायत भवन कुंडल में बैठते हैं। आज सरपंच प्रतिनिधि के मिलने की संभावना नहीं है। मैं कल सुबह लगभग 10 बजे सरपंच प्रतिनिधि से रुबरु मिलकर सत्यापन करवा दूंगां। इस पर श्री मनोहरलाल कानि 115 को मन् पुलिस निरीक्षक ने अपने कक्ष में बुलाकर मौजूदा परिवादी से आपसी परिचय करवाया। तत्पश्चात् मनोहरलाल कानि को मालखाना से डिजिटल टेपरिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड प्रस्तुत करने के निर्देश पर श्री मनोहरलाल कानि. ने डिजिटल टेपरिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड श्री बजरंग सिंह हैड कानि. 54 से प्राप्त कर प्रस्तुत किया। डिजिटल टेप रिकॉर्डर में वार्ता रिकॉर्ड करने हेतु इसे चालू व बंद करने की प्रक्रिया से परिवादी एवं श्री मनोहरलाल कानि. को समझाया गया। उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर व मेमोरी कार्ड को आगामी कार्यवाही हेतु मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा अपने पास सुरक्षित रखा गया। श्री मनोहरलाल कानि व परिवादी बिटू सिंह को कल सुबह आरोपी से रिश्वत मांग के सत्यापन संबंधी निर्देश प्रदान किए गए। परिवादी श्री बिटू सिंह को उचित निर्देश प्रदान कर ब्यूरो चौकी से रवाना किया गया। दिनांक 15.04.2022 को 07:50 ए.एम. पर श्री मनोहर कानि को डिजिटल टेप रिकॉर्डर सुपुर्द किया जाकर परिवादी से संपर्क स्थापित रखने व आरोपी सरपंच प्रतिनिधि श्री ओमजी तरड़ से रिश्वत मांग सत्यापन संबंधी निर्देश प्रदान किए जाकर ब्यूरो चौकी से ग्राम पंचायत कुंडल के लिए रवाना किया गया। वक्त 01:13 पीएम पर श्री मनोहर कानि से मोबाइल फोन पर वार्ता की गई तो बताया कि परिवादी बिटू सिंह का आरोपी सरपंच प्रतिनिधि श्री ओमजी तरड़ से ग्राम पंचायत भवन कुंडल में संपर्क हो गया है। मनोहर कानि ने परिवादी से वार्ता करवाई तो परिवादी ने मुझ पुलिस निरीक्षक को बताया कि सरपंच प्रतिनिधि श्री ओमजी तरड़ ग्राम पंचायत भवन में बैठे हुए थे तथा सरपंच के रुप में ही बारी बारी से लोगों के काम व समस्याएं सुन रहे थे। मैं काफी इंतजार करने के बाद मेरी बारी आने के बाद ओमजी तरड़ से मिला था जिन्होंने मुझसे मेरे जियोटैगिंग के काम के बदले कुल 20000 रुपयों में से 10000 रुपये आज ही रिश्वत की मांग की है तथा शेष 10000 रुपये तीसरी किश्त आने के बाद देने का वादा लिया है। परिवादी ने बताया कि मैं यह रिश्वत राशि 2–3 बाद ही दूंगा। परिवादी को फर्द ट्रांसकिप्ट के बारे में बताया तो मुझ पुलिस निरीक्षक को अवगत करवाया कि यदि मैं अभी बीकानेर आता हूं तो मुझे मेरे गांव वापसी के लिए कोई परिवहन का साधन नहीं मिलेगा। इसलिए आप आगे का कोई समय अलग से बता देना। वक्त 06:00 पी.एम. पर मन पुलिस निरीक्षक दिगर कार्य से वापिस कार्यालय हाजा पंहुचने पर श्री मनोहर कानि मय डिजिटल टेप रिकॉर्डर उपस्थित मिला जिसने डिजिटल टेप रिकॉर्डर मुझ पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द कर अपनी व परिवादी के मुझ पुलिस निरीक्षक से मोबाइल फोन पर हुई वार्ता के पूर्व के तथ्यों को दोहराया। डिजीटल टेप रिकार्डर को चलाकर सरसरी तौर पर चैक किया व सुना गया तो डिजिटल टेप रिकॉर्डर में वार्ता की रिकॉर्डिंग होना पाया गया। दिनांक 17.04.2022 को परिवादी श्री बिटू सिंह कार्यालय हाजा पर उपस्थित आने पर सत्यापन वार्ता की फर्द ट्रासंकिप्ट तैयार कर रिकार्ड वार्ता की डी.वी.डी तैयार की गई

तथा इसी दौरान आगामी ट्रेप कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाह तलब करने पर श्री संजय सिंह भदौरिया J.En., BKESL, Bikaner एवं श्री अमित कुमार मीणा Engineer Supervisor, BKESL, Bikaner ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित हुए हैं जिन्हें उचित निर्देश दिए जाकर दिनांक 18.04.22 को प्रातः 07:00 एएम पर ब्यूरो कार्यालय उपस्थिति आने हेतु पाबन्द किया गया। सत्यापन वार्ता अनुसार ओमजी तरड़ सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत कुंडल के द्वारा परिवादी से पिछले पखवाड़े के मस्ट्रोल के रुपयों की मांग करने तथा जियोटैगिंग हेतु किश्तों में कुल 20000 रुपये रिश्वत की मांग करने व 10000 रुपये रिश्वत तीसरी जियोटैगिंग से पहले मांग करने की पुष्टि हुई। तत्पश्चात परिवादी को कार्यवाही के लिए आरोपी को दी जाने वाली रिश्वत राशि की व्यवस्था करके दिनांक 18.04.2022 को समय 07:00 एएम पर ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत कर रूखस्त किया गया।

दिनांक 18.04.2022 को प्रातः 07:15 ए.एम. पर परिवादी श्री बिटू सिंह ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आया। परिवादी ने बताया कि कार्यवाही हेतु 10000 रुपये की व्यवस्था कर लाया हूं। मैं आज आरोपी श्री ओमजी तरड़ सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत कुंडल से ग्राम पंचायत भवन कुंडल में रिश्वती राशि लेनदेन की कार्यवाही करवा सकता हूं। इस पर परिवादी को ब्यूरो कार्यालय में मुकीम रहने के निर्देश दिए गए। इस दौरान पाबन्द शुदा श्री संजय सिंह भदौरिया J.En., BKESL, Bikaner एवं श्री अमित कुमार मीणा Engineer Supervisor, BKESL, Bikaner ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित हुए हैं जिनको प्रयोजन बताकर ब्यूरो कार्यालय में मुकीम रहने हेतु अवगत करवाया गया। समय 07:30 ए.एम. पर परिवादी श्री बिटू सिंह एवं उपस्थित स्वतंत्र साक्षिगण श्री संजय सिंह भदौरिया जे.ईएन. व श्री अमित कुमार मीणा–इंजिनियर सुपरवाईजर को मन पुलिस निरीक्षक ने अपने कक्ष में बुलाया गया तथा परिवादी का उपस्थित स्वतंत्र साक्षिगण से आपसी परिचय करवाया गया। परिवादी द्वारा करवाई जा रही कार्यवाही के संबंध में श्री संजय सिंह भदौरिया जे.ईएन. व श्री अमित कुमार मीणा–इंजिनियर सुपरवाईजर को अवगत करवाया गया तथा आरोपी सरपंच प्रतिनिधि द्वारा की जा रही रिश्वत मांग के सत्यापन के संबंध में भी अवगत करवाते हुए परिवादी की लिखित रिपोर्ट का अवलोकन करवाया गया। तत्पश्चात् ब्यूरो की कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह रहने हेतु सहमति चाहे जाने पर श्री संजय सिंह भदौरिया जे.ईएन. व श्री अमित कुमार मीणा–इंजिनियर सुपरवाईजर ने अपनी अपनी तरफ से स्वैच्छिक सहमति प्रकट की। तत्पश्चात् दोनों को ट्रैप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह शामिल किया गया। मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देश पर रुबरु गवाहान परिवादी श्री बिटू सिंह ने कार्यवाही हेतु अपने पास से 500 रुपये के 20 नोट भारतीय मुद्रा के निम्न वर्णन के प्रस्तुत किये –

क. सं.	नोट का विवरण	नम्बर नोट
1.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	6KS 394428
2.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	2FW 748003
3.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	2FW 748004
4.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	2FW 748002
5.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	2FW 748001
6.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	2FW 748200
7.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	2FW 748199
8.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	2FW 748198
9.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	2FW 748197
10.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	2FW 748196
11.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	2FW 748195
12.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	2FW 748194
13.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	2FW 748193
14.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	2FW 748192
15.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	2FW 748191
16.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	2FW 748190

17.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	6KS 394420
18.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	6KS 394418
19.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	6KS 394417
20.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	6KS 394416

कार्यालय के मालखाना से श्री अशोक कुमार कानि. नम्बर 81 से फिनोल्फथलीन पाउड़र की शीशी मंगवाकर एक अखबार के कागज पर उक्त सभी नोटों को रखवाकर उक्त कानि. से नोटो पर फिनोल्फथलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्री बिटू सिंह की जामा तलाशी गवाह श्री अमित कुमार मीणा से लिवाई गई तो कोई आपत्ति जनक सामान नहीं पाया गया। उक्त पाउड़र लगे नोट परिवादी के पहनी हुई पेंट की सामने की दाहिनी जेब में श्री अशोक कुमार कानि. नम्बर 81 से रखवाये गये। परिवादी को हिदायत दी गई कि वह ओमजी तरड़ द्वारा रिश्वत की मांग करने पर उक्त पाउडर युक्त नोट उसे देवे, उससे हाथ नहीं मिलावें, लेनदेन से पूर्व रिश्वती राशि को नहीं छुए, श्री ओमजी तरड़ रिश्वती राशि प्राप्त करके कहां रखता है उसका ध्यान रखे एवं रिश्वती राशि के लेन–देन के बाद किसी बहाने से ट्रेप पार्टी सदस्यों को देखते हुवे अपने सिर पर दोनों हाथों को फेरकर ईशारा करे, यदि ईशारा करना सम्भव न हो तो अपने मोबाईल से मुझ पुलिस निरीक्षक के मोबाईल नं. 9785180848 पर मिस्ड कॉल/कॉल करके इशारा करे। तत्पश्चात एक साफ कांच के गिलास में साफ पानी मंगवाकर गिलास में सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार किया गया जो रंगहीन रहा। उक्त रंगहीन धोल के गिलास में श्री अशोक कुमार कानि. के हाथों की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाई गई तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार परिवादी व गवाहान को दृष्टांत कार्यवाही करके दिखाई गई एवं सोड़ियम कार्बोनेट एवं फिनोल्फथलीन पाउड़र की आपसी रसायनिक प्रतिक्रिया एवं उसका महत्व भी गवाहान व परिवादी को समझाया गया। जिस अखबार के कागज पर रखकर उक्त नोटों पर फिनोल्फथलीन पाउडर लगाया गया था उसे जलाकर नष्ट करवाया गया। उक्त रसायनिक घोल को बाहर फिंकवाया जाकर उक्त गिलास को साफ पानी व साबुन से धोकर कार्यालय में ही रख दिया गया। श्री अशोक कुमार कानि. के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। फिनोल्फथलीन पाउड़र की शीशी श्री अशोक कुमार कानि. 81 से वापिस मालखाना में रखवायी गई। मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देश पर दोनों गवाहान, परिवादी एवं ट्रेप पार्टी में शामिल समस्त स्टाफ ने अपने–अपने हाथ साफ पानी एवं साबुन से धोये। परिवादी को उसका मोबाइल साथ रखने की अनुमति दी गई। तत्पश्चात ब्यूरो के कार्यवाही में पूर्व से प्रयुक्त डिजीटल टेप रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड परिवादी को वक्त लेन–देन वार्ता रिकार्ड हेतु सुपूर्द कर 08:15 ए.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक आनन्द मिश्रा मय परिवादी श्री बिटू सिंह एवं स्वतंत्र गवाह श्री संजय सिंह भदौरिया जे.ईएन. व श्री अमित कुमार मीणा–इंजिनियर सुपरवाईजर तथा ब्यूरो स्टाफ श्री बजरंग सिंह हैड कानि., राजवीर सिंह हैड कानि., अनिल कानि., प्रेमाराम कानि., मनोहरलाल कानि., रतन सिंह कानि जरिये सरकारी वाहन बोलेरो मय सहदेव कानि चालक एवं किराए के वाहन से ट्रैप बॉक्स लैपटॉप प्रिंटर इत्यादि ट्रैप सामग्री हमराह लेकर वास्ते ट्रैप कार्यवाही ग्राम पंचायत कुंडल, तहसील खाजूवाला के लिए रवाना होकर 10:30 ए.एम पर परिवादी के बताए अनुसार ग्राम पंचायत कुंडल से पूर्व उचित स्थान पर मुकीम हुए। परिवादी ने बताया कि मैंने मेरे परिचित से यहां पर मोटरसाइकिल लेकर आने का कह रखा है। मैं अभी यहां से मोटरसाइकिल पर ग्राम पंचायत कुंडल जाउंगा। मोटरसाइकिल लेकर आने वाले व्यक्ति को मैंने कार्यवाही के संबंध में कोई बात नहीं बताई है। उसको मैं ग्राम पंचायत कुंडल बस स्टैंड पर उतारकर ही ग्राम पंचायत भवन में सरपंच प्रतिनिधि ओमजी तरड़ से वार्ता करने जाउंगा। कुछ देर परिवादी ने बताया कि मेरा आदमी मोटरसाइकिल लेकर आ गया है। इस पर परिवादी बिटू सिंह से डिजिटल टेप रिकॉर्डर चालू करवाकर आरोपी सरपंच प्रतिनिधि से वार्ता करने हेतु उसके द्वारा मंगवाई गई मोटरसाइकिल से ग्राम पंचायत कुंडल के लिए रवाना किया गया। मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराही शेष ट्रैप पार्टी सदस्यों के दोनों वाहनों से परिवादी के पीछे पीछे रवाना होकर ग्राम पंचायत कुंडल बस स्टैंड के पास पहुंचा। परिवादी के मोटरसाइकिल से ग्राम पंचायत भवन के पास पहुंचकर परिसर में प्रवेश होने पर ट्रैप पार्टी सदस्य दोनों वाहनों के

जरिये बस स्टैंड कुंडल के पास कुछ नजदीक होकर परिवादी के ईशारे के इंतजार में मुकीम हुए।

वक्त 11.29 ए.एम. पर परिवादी श्री बिटूसिंह ने अपने मोबाईल नंबर 9521506533 से मन् पुलिस निरीक्षक आनन्द मिश्रा के मोबाईल नंबर 9785180848 पर मिस कॉल कर ट्रेप का निर्धारित ईशारा करने पर मन् पुलिस निरीक्षक मय उपरोक्त दोनों स्वतंत्र गवाहान एंव ब्यूरो स्टाफ के मय सरकारी बोलेरो चालक श्री सहदेव एवं प्राईवेट इनोवा से अविलम्ब ग्राम पंचायत भवन कुण्डल के पास पहुंचे, दोनो वाहनों को बाहर खड़ा करके हमराही सभी के ग्राम पंचायत भवन परिसर में प्रवेश हुआ तो बायीं ओर बने हुए ग्राम पंचायत भवन के गेट पर परिवादी श्री बिटू सिंह खड़ा मिला। परिवादी ने बताया कि अभी–अभी मैं श्री ओम जी तरड़ से पंचायत भवन के अंदर ही मिला, औमजी के पास अन्य व्यक्ति बैठे थे तो ओमजी ने मुझे रूकने का ईशारा किया, फिर मुझे पंचायत भवन के पीछे की साईड में ले गये, औमजी को मैने कहा अंकल 10000 रूपये का जुगाड़ हो गया है, ओमजी ने मेरे से रिश्वत राशि प्राप्त की और कहा कितने है तो मैने कहा 10000/– रूपये है। औमजी ने फिर रूपये गिनकर अपनी पेन्ट की बायी जेब में रख लिये और आज ही जियो टेगिंग करवा देने का कहते हुए मस्टररोल के भी 18000/– रूपयो की मांग की तथा मुझे साढे बारह बजे तक जियोटैगिंग के काम के लिए वापिस आने के लिए कहा, रिश्वत राशि 10000/– रूपये ओम जी की पेन्ट की सामने की बांयी जेब में है, ओम जी ग्राम पंचायत हॉल में बैठे हैं। इस पर परिवादी को साथ लेकर मन पुलिस निरीक्षक हमराही सभी के ग्राम पंचायत भवन के हॉल में पहुंचा तो एक प्लास्टिक कुर्सी पर हृष्ट पुष्ट व्यक्ति बैठा मिला, जिसकी तरफ ईशारा करते हुए परिवादी ने बताया कि यही ओम जी है। परिवादी की दी गई जानकारी के अनुसार व्यक्ति ओम जी को मन् पुलिस निरीक्षक ने अपना व हमराहियान का परिचय देते हुए आने का मकसद बताया, तो उक्त व्यक्ति उग्र हो गया व धक्का मुक्की करने लगा, इसी दौरान अपनी पहनी पेंट की जेब से 500–500 रूपये के नोटों की थेई निकालकर फर्श पर फैंक दी तथा पैसे ले जाओ चिल्लाने लगा और हॉल के पीछे का गेट खोलकर भागने का प्रयास करने लगा, जिसे मन् पुलिस निरीक्षक व हमराही स्टाफ ने काबू कर तसल्ली रखने की हिदायत की गई। परन्तु उक्त व्यक्ति अत्यन्त उग्र होता रहा एवं ट्रेप कार्यवाही को जानबुझकर परिचय देने के उपरान्त भी बाधित करने लगा। इस दौरान परिवादी से डिजीटल टेप रिकार्डर प्राप्त कर बन्द किया। ग्राम पंचायत भवन में उपस्थितगण द्वारा ट्रेप कार्यवाही के दौरान हंगामा करने का प्रयास किया गया। इस दौरान सजगता से रिश्वत राशि जो फर्श पर फेंकी हुई थी को गवाहान की मौजूदगी में श्री मनोहरलाल कानि. को तुरन्त सुरक्षा की दृष्टि से कब्जे में लेने के निर्देश देकर मनोहरलाल कानि. के पास सुरक्षित रखवाये। आरोपी ओम जी कोई बात सुनने को तैयार नहीं होने की स्थिति में तथा आरोपी द्वारा जानबुझकर कार्यवाही को बाधित करने के प्रयासो से मौका पर आगामी कार्यवाही में बाधा उत्पन्न होने को दृष्टिगत रखते हुए हमराही स्टाफ से उक्त व्यक्ति को सरकारी बोलेरो गाड़ी में बैठाकर श्री प्रेमाराम कानि., श्री रतन सिंह व श्री बजरंग सिंह हैड कानि., चालक श्री सहदेव कानि. के पुलिस थाना खाजूवाला के लिए रवाना कर मन् पुलिस निरीक्षक मय दोनों गवाहान प्राईवेट वाहन से शेष स्टाफ को हमराह लेकर ग्राम पंचायत कुण्डल से पुलिस थाना खाजूवाला के लिए रवाना होकर वक्त 11:54 एएम पर पुलिस थाना खाजूवाला पहुंचा। चूंकि श्री मनोहरलाल कानि. के पास रिश्वती राशि सुरक्षित रखवाई है, को धोवन कार्यवाही तक अलग रखा गया। हमराही काबू व्यक्ति श्री ओमजी को सांत्वना देकर व तसल्ली रखने की समझाईश कर पूर्ण नाम पता पूछने पर अपना नाम ओमप्रकाश तरड़ पुत्र श्री सहीराम, निवासी 10 केएलडी(कुण्डल), तहसील खाजूवाला ज़िला बीकानेर, पेशा ठेकेदारी होना बताया। आरोपी श्री ओमप्रकाश द्वारा परिवादी बिटू सिंह से रिश्वत राशि प्राप्त करने के संबंध में पूछने पर आरोपी श्री ओमप्रकाश ने बताया कि मैंने बिटू सिंह से कोई रिश्वत राशि नहीं ली है, इस बिटू सिंह के मकान का काम चल रहा है, जिस पर बजरी व मेटेरियल गिराने के लिए इसने मुझे रूपये दिये थे, जो 500–500 के नोट कुल 10000/–रूपये थे। जब ट्रेप पार्टी आई तो आप द्वारा राशि फैंकी क्यों गई? के संबंध में पूछने पर ओमप्रकाश ने बताया कि मैंने एक साथ इतने लोगों को देखकर घबराहट में राशि फैंक दी, मुझे आप लोगों के बारे में यह पता नहीं था कि आप एसीबी से हो इसलिए मैंने पैसे फैंककर भागने का प्रयास किया कि पता नहीं ये लोग कौन हैं। मैंने बिटू सिंह से न तो

रिश्वत मांगी थी और न ही रिश्वत के रूपये लिये हैं, ये 10000/–रूपये मेरे द्वारा मेटेरियल डालने की एवज में लिये थे। मै ग्राम पंचायत कुण्डल का सरपंच नही हूँ, ग्राम पंचायत कुण्डल की सरपंच रीतू तर्ड जो मेरे छोटे भाई महावीर तर्ड की पत्नी है, मै आज ग्राम पंचायत भवन में मेरे घर के पास पशुओं की खेली निर्माण की स्वीकृति के लिए ग्राम सेवक श्री अरविन्द कुमार से मिलने आया था, अरविन्द कुमार का इन्तजार कर रहा था वो आया नही था। इस पर मौजूदा परिवादी श्री बिटू सिंह ने स्वतः ही बताया कि प्रधानमंत्री योजना में पिछले सरपंच के कार्यकाल में आवास निर्माण हेतु मेरा चयन हुआ था, मुझे प्रधानमंत्री आवास योजना में वर्तमान सरपंच कार्यकाल में आवास निर्माण की दो किश्तों का भुगतान मिल चुका है, तीसरी किश्त 63,000/–रूपये की प्राप्त होनी थी। इन्होंने मुझे पूर्व में भुगतान की गई प्रथम किश्त 15,000/–रूपये व द्वितीय किश्त 45,000/–रूपये तथा तीसरी किश्त 63,000/–रूपये का भुगतान करवाने की एवज में 20000/–रूपये रिश्वत की मांग की थी आज इन्होंने इसके क्रम में मेरे से 10,000/–रूपये गिनकर प्राप्त कर आज ही थर्ड जीओ टेगिंग करवाने व मस्टररोल के अलग से 18000/– रूपये की मांग की और मुझे आज ही साढे बारह बजे जियो टेगिंग के लिए वापिस आने के लिए कहा। ये ओम जी अपने आप को सरपंच प्रतिनिधि बताते है इनके फेसबुक पेज पर भी आप देख सकते है, कुण्डल में सरपंच इनके छोटे भाई की पत्नी रीतू तर्ड है। मैने मकान निर्माण के लिए इनसे कोई मेटेरियल नही लिया है। इस पर आरोपी श्री ओमप्रकाश से पुनः पूछने पर पूर्वानुसार ही रिश्वत राशि नहीं लेने के कथन दोहराये। रिश्वत लेन–देन की पूर्ण पुष्टि होने पर ट्रेप बॉक्स मंगवाकर दो साफ कांच के गिलास में साफ पानी भरवाया जाकर सोडियम कार्बोनेट पाउडर का घोल तैयार करवाया गया, जो हाजरीन ने रंगहीन होने की ताईद की। रंगहीन घोल के एक गिलास में श्री ओमप्रकाश के बांये हाथ की अंगूलियों व अंगूठे को डूबोकर धोवन लिया गया तो धोवन हल्का गुलाबी प्राप्त हुआ, जिसे दो साफ कांच की शीशियों में आधा–आधा भरकर मार्क एल–1, एल–2 अंकित किया गया। तत्पश्चात दूसरे रंगहीन घोल के गिलास में श्री ओमप्रकाश के दाहिने हाथ की अंगूलियों व अंगूठे को डूबोकर धोवन लिया गया तो धोवन हल्का गुलाबी प्राप्त हुआ जिसे भी दो साफ कांच की शीशियों में आधा–आधा भरकर मार्क आर–1, आर– 2 अंकित कर सीलचिट कर सभी पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिये गये। तत्पश्चात श्री मनोहरलाल कानिस्टेबल को तलब कर ग्राम पंचायत भवन के हॉल के फर्श से उठवाई गई राशि 500–500 के नोट गवाह श्री अमित कुमार मीणा को दिलवाये जाकर गिनवाये गये तो गवाह ने 500–500 के 20 नोट कुल 10000/–रूपये होना बताया। इस पर पूर्व में बनी फर्द पेशकसी एवं सुपुर्दगी नोट में अंकित नोटों के नंबर से उक्त नोटों के नंबरों का मिलान दोनों गवाहान से करवाये जाने पर नोटों के नंबर हूबहू फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी के होना पाये गये जिनके नम्बर फर्द हाथ धुलाई एवं बरामदगी में अंकित कर नोटो को सीलचिट कर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। परिवादी के बताये अनुसार आरोपी ओमप्रकाश द्वारा रिश्वती राशि अपने पहनी हुई पेन्ट की सामने की बायी जेब में रखे थे तथा ट्रेप पार्टी के सामने आरोपी ने अपनी उक्त जेब से 500–500 रूपये के नोट फर्श पर फैंके थे जो फर्द पेशकशी के अनुसार पाये गये है इस कारण आरोपी श्री ओमप्रकाश के पहनी जिन्स पेंट की बांयी जेब का धोवन लिया जाना आवश्यक होने से आरोपी के पहनने हेतु दूसरी पेन्ट की व्यवस्था करवाकर पहनी पेन्ट को उतरवाया जाकर एक अन्य साफ कांच के गिलास में साफ पानी भरवाया जाकर सोडियम कार्बोनेट का धोवन तैयार किया गया, जो हाजरीन ने रंगहीन होने की ताईद की। तत्पश्चात आरोपी की जींस पेंट की सामने की बांयी जेब को उलटवाकर रंगहीन घोल में डुबोकर धोवन लिया गया तो धोवन गुलाबी प्राप्त हुआ जिसे दो साफ कांच की शिशियों में आधा–आधा भरकर सीलचिट कर मार्क पी–1, पी–2 अंकित कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त पेन्ट जिन्स की जेब को सुखाकर पेन्ट को सफेद कपड़े की थैली में सीलमोहर कर थैली पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। परिवादी के स्वीकृत आवास निर्माण कार्य के सम्बंध में विकास अधिकारी खाजूवाला कार्यालय से कागजात जरिये पत्र प्राप्त किया। ट्रैप कार्यवाही में वजह सबूतों को सील मोहर में प्रयुक्त की गई पीतल की सील की फर्द नमूना सील मुर्तिब की गई। आरोपी संरपचं प्रतिनिधि ओमप्रकाश को जुर्म से आगाह कर जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। आरोपी की जामा तलाशी में निम्नानुसार संदिग्ध दस्तावेज पाये गये–1. नखतबन्ना, निरंजन बाबा, भभूतासिद्ध मंदिर में जागरण हेतु

5100 रूपये की चन्दा रसीद श्री ओप्रकार जी सरपंच कुण्डल के नाम से दिनांक 11.09.2021 की कटी हुई 2. भगत श्री रविदास सेवा दल गुरमत समागम चक 6 एसजेएम, तहसील खाजूवाला की चन्दा रसीद 1100/–रूपये की श्री ओमप्रकाश सरपंच कुण्डल के नाम से दिनांक 16.02.2022 को कटी हुई 3. बाबा रामदेव मन्दिर गांव सैखड़ा धाम के नाम से दिनांक 16.09.2021 को श्री ओमप्रकाश/सहीराम जाट 10केएलडी कुण्डल के नाम से 500/–रूपये की चंदा रसीद 4. भानीराम पुत्र श्री हरीदास, निवासी 10 केएलडी, ग्राम पंचायत कुण्डल की सामाजिक सुरक्षा पेशंन स्टेटस रिपोर्ट एक किता, जिस पर पेन से "ये फार्म दूबारा भरना है।" अंकित किया गया है तथा उक्त कागज के पीछे तीन बिन्दुओं में अन्य निर्माण कार्यों का अंकन है 5. श्री भानीराम पुत्र श्री हरीदास का सामाजिक सुरक्षा पेंशन आवेदन की रसीद एक किता, 6. एक लाईनदार कागज पर कम संख्या 01 पर सलोचना/रोशनलाल व 31 पर महीन्द्रा पत्नी मनफूल से संबंधित हिसाब किताब लिखा हुआ है, उक्त पृष्ठ पर कम संख्या 11 पर बिटुसिंह/दर्शन सिंह – 20 9केएलडी लिखा हुआ है। तथा उक्त कागज के पीछे कम संख्या 01 से कम संख्या 10 तक नाम लिखे हुए हैं। 7. एक लाईनदार कागज पर श्री करणी कृपा की जय हो पेन से लिखा होकर आगे कार्यों का नाम, हिसाब किताब, अधिकारी / कर्मचारियों के नाम व कमीशन राशि का विवरण लिखा हुआ है। इस कागज के पीछे भी 500/–रूपये मस्टरोल नावे खाजुवाला में, 5000/– 13 केएलडी राकेश मेघवाल, 5000/–रूपये एईएन रमन जी को सीसी नावे खर्च कमीशन दिनांक 27.03.2022, 500/–रूपये बस भाड़ा लिखा हुआ है। 8. एक सफेद कागज पर जिस पर जय श्री गणेशाय नमः, जय श्री करणी कृपा लिखा हुआ है तथा सुलोचना/सोहनलाल व अन्य व्यक्तियों के नाम व वल्दियत लिखी हुई है व आगे अंक लिखे गये हैं। उक्त व्यक्तियों के नाम में कम संख्या 10 पर बिटूसिंह/दर्शन सिंह के आगे 10 लिखा हुआ है। इस कागज के पीछे की साईड में भी अन्य व्यक्तियों के नाम व हिसाब किताब लिखा हुआ है। 9. एक सफेद कागज पर कुल 20 निर्माण कार्यों के नाम लिखे हुए हैं तथा उक्त कागज के पृष्ठ भाग पर दिनांक 14.03.2022, 15.03.2022, 16.03.2022 एवं 17.03.2022 में डीजल के संबंध में हिसाब लिखा हुआ है। 10. एक सफेद कागज की कटी फटी पर्ची जिसमें कई तरह का हिसाब लिखा हुआ है एवं 11. एक छोटी पोकेट डायरी जिसका खाकी गत्ता कवर है, जो पेज संख्या 01 से 50 है, जिसमें प्रथम पेज पर अंग्रेजी में MAMTADEVI OMPRAKASH लिखा हुआ है व इस पर लाईन खिंची हुई है व पेज संख्या 32 से आगे दो पेज पूर्व से फटे हुए है।

आरोपी के पास मिले उक्त कागजात को जरिये फर्द जब्ती कब्जा एसीबी लिये जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवाए गए तथा आरोपी संरपचं प्रतिनिधि की फेसबुक आईडी के संबंध में आरोपी से पूछताछ कर व जानकारी ली जाकर आरोपी की फेसबुक आइडी https://www.facebook.com/om.tard.399 का अवलोकन व विश्लेषण किया गया तो 14 सितंबर 2021 को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं जिसमें स्वयं को सरपंच प्रतिनिधि कुंडल दर्शाया है तथा दिनांक 12 अप्रैल 2022 की पोस्ट में खाजूवाला थाना की सद्भावना मीटिंग में बतौर सरपंच प्रतिनिधि स्वयं द्वारा दर्शाया गया है। इस संबंध कुल 4 दस्तावेज फेसबुक से लिए जाकर ज्ञापन तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात घटनास्थल पंहुचकर नक्शा मौका एवं हालात मौका तैयार किया गया। घटनास्थल की नक्शा मौका कार्यवाही के दौरान व मालूमात करने पर सरपंच व ग्रामसेवक उपस्थित नहीं मिले। कार्यवाही के दौरान समय समय पर आरोपी ओमप्रकाश एवं आरोपी से मिलने आए परिजनों व परिचित सदस्यों से सरपंच रितु तरड़ से वार्ता कराने तथा सरपंच द्वारा कथन लेखबद्ध करवाने हेतु बार बार प्रयास किए गए। परंतु आरोपी, परिचितों व परिजनों ने जान बूझकर सहयोग नहीं किया, अन्य सूत्रों से मालूम करने पर भी सरपंच कुंडल श्रीमती रितु तरड़ की कोई उपस्थिति बाबत जानकारी प्राप्त नहीं हुई। परिवादी ने बताया कि सरपंच ग्राम पंचायत में नहीं आती है तथा अधिकतर जसरासर में रहती है। इस दौरान ग्रामसेवक अरविंद से भी संपर्क करना चाहा परंतु ग्रामसेवक की उपस्थिति की भी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई। आरोपी ओमप्रकाश तरड़ का मोबाइल जरिये फर्द जब्ती कब्जा एसीबी लिया गया एवं रिश्वत लेनदेन वार्ता की फर्द ट्रांसकिप्ट तैयार गई, तत्पश्चात् रिकॉर्ड वार्ता की डीवीडी तैयार कर एक डीवीडी को सील चिट किया गया तथा एक डीवीडी अन्वेषण प्रयोजनार्थ खुली अवस्था में कब्जा एसीबी लिया गया। ट्रैप कार्यवाही में प्रयुक्त पीतल की सील को अनुपयोगी कर नष्ट किया गया, कार्यवाही

की फर्द मूर्तिब की गई। आरोपी का स्वास्थ्य परीक्षण करवाया गया। मौका की कार्यवाही पूर्ण कर वक्त 08:40 पीएम पर ट्रैप कार्यवाही का वजह सबूत हमराह लेकर मय दोनों गवाहान, गिरफ्तारशुदा आरोपी एवं ब्यूरो स्टाफ तथा परिवादी बिटू सिंह को साथ लेकर पुलिस थाना खाजूवाला से रवाना होकर परिवादी को उसके बताए अनुसार स्थान खाजूवाला में छोड़ा गया व तत्पश्चात् ब्यूरो कार्यालय बीकानेर के लिए रवाना होकर 10:30 पीएम पर कार्यालय हाजा पहुंचा। आरोपी को रात्रि सुरक्षा हेतु पुलिस थाना सदर, बीकानेर में जमा करवाने हेतु जरिये तहरीर श्री राजीवर सिंह हैड कानि व प्रेमाराम कानि के साथ थाना सदर रवाना किया गया। प्रकरण के वजह सबूत श्री बजरंग सिंह हैड कानि के जरिये सुरक्षित मालखाना जमा करवाया गया। आरोपी सरपंच प्रतिनिधि ओमप्रकाश तरड़ को दिनांक 19.04.2022 को माननीय सेशन न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम बीकानेर में पेश किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को जे.सी फरमाने पर केन्द्रीय कारागृह बीकानेर में जमा करवाकर प्राप्ति रसीद ली गई।

इस प्रकार उपरोक्त घटनाक्रम से पाया गया कि परिवादी श्री बिटू सिंह पुत्र श्री दर्शन उर्फ दरसन सिंह, जाति मजहबी, निवासी वार्ड नंबर 09, चक 9 केएलडी, कुण्डल करमवाला, तहसील खाजूवाला, जिला बीकानेर को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत आवास निर्माण की एवज में प्रथम व द्वितीय किश्त के हुए भुगतान व शेष तीसरी किश्त राशि 63,000/–रूपये का भुगतान करवाने के लिए जीओ टेगिंग करवाने की एवज में श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री सहीराम, सरपंच प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत कुण्डल, पंचायत समिति खाजूवाला, जिला बीकानेर द्वारा परिवादी बिटू सिंह से वक्त सत्यापन 20000/–रूपये रिश्वत राशि की मांग कर वक्त ट्रेप दिनांक 18.04.2022 को 10,000/–रूपये रिश्वत राशि प्राप्त की गई तथा रिश्वत लेनदेन के समय आरोपी सरपंच प्रतिनिधि श्री ओमप्रकाश द्वारा परिवादी से मस्टररोल संबंधी पिछले बकाया 18000 रुपये की भी मांग की। ट्रैप कार्यवाही के दौरान आरोपी सरपंच प्रतिनिधि श्री ओमप्रकाश द्वारा कार्यवाही को जानबूझकर बाधित करने का पूर्ण प्रयास किया गया। कार्यवाही के दौरान आरोपी ओमप्रकाश द्वारा सरपंच प्रतिनिधि के रुप में काम करने संबंधी फेसबुक आईडी से प्राप्त दस्तावेजों, आरोपी की जामा तलाशी में प्राप्त हुए कागजात के तथ्यों जिनमें परिवादी बिटू सिंह पुत्र दर्शन सिंह का भी अंकन होना पाया गया है, के आधार पर आरोपी ग्राम पंचायत भवन कुंडल में बतौर सरपंच प्रतिनिधि कार्य करना पाया गया है। दौराने कार्यवाही रिश्वती राशि आरोपी द्वारा ग्राम पंचायत भवन के हॉल में फर्श पर फेंकी गई, को बरामद किया गया। आरोपी के दोनों हाथों की धोवन हल्की गुलाबी व पैंट की जेब का धोवन गुलाबी प्राप्त हुआ। आरोपी ओमप्रकाश पुत्र श्री सहीराम, जाति जाट, उम्र 39 वर्ष, निवासी 10 केएलडी(कुण्डल), तहसील खाजूवाला, जिला बीकानेर सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत कुण्डल, पंचायत समिति खाजूवाला, जिला बीकानेर का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7ए भ्रष्टाचार निवारण(संशोधन) अधिनियम 2018 एवं 420, 186 भादंसं के तहत प्रथम दृष्टया घटित होना पाया जाता है। अतः उपर्युक्त धाराओं में अपराध पंजिबद्ध करने हेतु बिना नंबरी एफआईआर कमांकन एवं पंजीयन हेतु श्रीमान् महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राज जयपुर की सेवामें सादर प्रेषित है।

(आनन्द मिश्रा)
पुलिस निरीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
बीकानेर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री आनन्द मिश्रा, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 420, 186 भादंसं में अभियुक्त श्री ओमप्रकाश, सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत कुण्डल, पंचायत समिति खाजूवाला, जिला बीकानेर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 134/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रतियाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर।

क्रमांकः 1187-90 दिनांकः 19.4.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, बीकानेर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर।

19.4.2022

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर।